के कन्नन से पहले जे.

राम कुमार और अन्य-*याचिकाकर्ता बनाम*

हरियाणा राज्य और अन्य-*उत्तरदाताओं***2000 का सीडब्ल्यूपी**

नंबर 17747

8 जनवरी 2014

भारत का संविधान, 1950 - कला। 14 और 16 - हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1998 - आरएल। 6 - पंजाब शिक्षा सेवा वर्ग-III (स्कूल कैडर) नियम, 1955 - नियुक्ति - मेरिट सूची - याचिकाकर्ताओं ने प्रत्येक जिले में संबंधित रिक्तियों के लिए जिलेवार मेरिट सूची को छोड़कर लेट मेरिट सूची से बने शिक्षकों के चयन को चुनौती दी - माना गया कि मेरिट सूची में है राज्य स्तर पर होना और जिलेवार चयन समिति का गठन या जिलेवार आवेदन प्राप्त करने की अनुमति हो सकती है लेकिन चयन जिलेवार योग्यता के आधार पर नहीं हो सकता है।

*आयोजित,*कि चयन का मुद्दा क्या हैप्रत्येक जिले में विशेष जिले में निवास को एक प्रासंगिक मानदंड के रूप में बनाया जा सकता है, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अभिषेक ऋषि बनाम राज्य मामले में 2006 के पंजाब पंचायती राज प्राथमिक शिक्षकों की सेवा शर्तों की भर्ती नियमों के संदर्भ में इसी पर विचार किया। पंजाब और अन्य- 2013(3) एससीटी 1. पूर्ण पीठ ने फैसला सुनाया कि अधिवास और निवास के आधार पर पात्रता को प्रतिबंधित करने वाली अधिसूचनाओं में निर्धारित योग्यता असंवैधानिक थी और अनुच्छेद 16(3) के अनुरूप नहीं थी। खंडपीठ ने आगाह किया कि यह राज्य है जो शिक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक और वैधानिक रूप से बाध्य है, अनुच्छेद 14 और 16 के संवैधानिक आदेशों से परे सार्वजनिक नियुक्ति नहीं कर सकता है। इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या

ईटीटी शिक्षकों के पद पर नियुक्ति जिलेवार भर्ती के माध्यम से की जाएगी। उचित था, अदालत ने माना कि जिलेवार भर्ती कानूनी रूप से खराब होगी और नियमों द्वारा समर्थित नहीं होगी। यहां तक कि जिलेवार आवेदन बुलाने वाला विज्ञापन भी संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य था और इसमें अंतर-जिला भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं थी। इस न्यायालय की जोरदार घोषणा यह है कि जिला कैडर नियुक्ति के लिए आवेदन, चयन जिलेवार योग्यता के आधार पर नहीं हो सकता है।

जिला-वार चयन समिति का गठन या जिला-वार आवेदन पत्र प्राप्त करने की अनुमति हो सकती है, लेकिन केवल उस विशेष जिले से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आवेदनों पर प्रतिबंध से निवास के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी और अलग-अलग योग्यता के आधार पर एकतरफा चयन की अनुमति मिलेगी। प्रत्येक जिले के लिए मानदंड जो मनमाना होगा। मेरिट सूची राज्य स्तर पर होनी चाहिए और जिला कैडर पदों को भरने के लिए विभिन्न जिलों में सीटों का आवंटन किया जाना चाहिए, चयन प्राधिकारी अपनी पोस्टिंग के लिए प्रासंगिक विशेष जिले या आस-पास के स्थानों से संबंधित उम्मीदवारों की प्राथमिकताएं ले सकता है। . इस स्तर से परे, चयन के तरीके में कोई संवैधानिक रूप से स्वीकार्य जिला प्राथमिकता नहीं हो सकती है।

(पैरा 10)

2000 के सीडब्ल्यूपी नंबर 16924 और 2001 के 4001 में याचिकाकर्ताओं के लिए वकील डीएस पटवालिया।

एचएन खंडूजा, अधिवक्ता *याचिकाकर्ताओं* 2000 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17545, 17547, 17556 और 2003 के 672 में।

2001 के सीडब्ल्यूपी संख्या 14025, 17196 में याचिकाकर्ताओं के लिए वकील, संजीव गुप्ता।

सीडब्ल्यूपी नंबर 17428 में याचिकाकर्ताओं के वकील नवनीत सिंह2000 का और 1236 2001 का।

महावीर संधू, 2001 की सीडब्ल्यूपी संख्या 3187 में याचिकाकर्ताओं के वकील।

शक्ति सिंह, एसएन यादव के वकील, 2000 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17980 में याचिकाकर्ताओं के वकील।

याचिकाकर्ताओं के वकील सुरिंदर मोहन शर्मा सीडब्ल्यूपी में2000 का क्रमांक 16675।

एनडी कालरा, सीडब्ल्यूपी नंबर 14863 में याचिकाकर्ताओं के

वकील2000.

सीडब्ल्यूपी संख्या 17260 में याचिकाकर्ताओं के लिए वकील आईडी सिंगला,2000 का 17263; 2001 का 1145.

सीडब्ल्यूपी संख्या 14999 में याचिकाकर्ताओं के लिए वकील केएल ढींगरा,14859, 2000 का 15560; और 2001 का 3406, 1927।

2001 के सीडब्ल्यूपी संख्या 2673 और 3958 में याचिकाकर्ताओं के लिए वकील तारा चंद धनवाल।

शीशपाल लालेर, एडवोकेट और रविंदर मलिक रवि,वकील *याचिकाकर्ताओं के लिए*2001 के सीडब्ल्यूपी नंबर 15414 में।

मदन पाल, सीडब्ल्यूपी संख्या 16353 में प्रतिवादी संख्या 7 के वकील2000 का.

2000 के सीडब्ल्यूपी नंबर 16485 में याचिकाकर्ताओं के लिए जीके चतरथ, वरिष्ठ वकील और सुश्री अलका चतरथ, वकील।

सीडब्ल्यूपी संख्या 16353 में याचिकाकर्ताओं के लिए वकील रवि वर्मा,17815, 2000 का 17958 और 2001 का 10615।

सीडब्ल्यूपी संख्या 16519 में याचिकाकर्ताओं के लिए वकील जय वीर यादव2000 का.

राकेश सोबती, वकील, और सुश्री हरमनप्रीतकौर, वकील, 2000 के सीडब्ल्यूपी नंबर 16290, 16542, 16645 और 16918 में याचिकाकर्ताओं के लिए।

डीडी गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

के. कन्नन, जे.

(1) रिट याचिकाओं का यह समूह निम्नलिखित श्रेणियों में शिक्षकों के चयन के विज्ञापन से संबंधित है:

हिंदी, पंजाबी और संस्कृतविषयों और पीटीआई और कला एवं शिल्प शिक्षकों के रूप में।

(2) रिट याचिकाओं के समूह में इस आधार पर पदों पर चयन को चुनौती दी गई थी कि चयन राज्य की मेरिट सूची से किया गया था, जिसमें प्रत्येक जिले में संबंधित रिक्तियों के लिए जिलेवार मेरिट सूची को छोड़कर विभिन्न जिलों में साक्षात्कार किए गए सभी उम्मीदवारों को शामिल किया गया था। . याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह उन प्रासंगिक नियमों का उल्लंघन है जो पदों को जिला कैडर और नियुक्ति प्राधिकारी को डीईओ के रूप में निर्धारित करते हैं। हरियाणा राज्य ने नियम बनाए हैं, जिन्हें हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल

स्कूल कैडर (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1998 (संक्षेप में, 1998 नियम) कहा जाता है, जो 29.01.1998 को आधिकारिक राजपत्र के प्रकाशन के बाद लागू हो गए हैं। इन नियमों के जारी होने से पहले, चयन पंजाब शिक्षा सेवा वर्ग III (स्कूल कैडर) नियम, 1955 द्वारा शासित होता था। पदों पर नियुक्ति के लिए प्रदान किए गए 1998 के नियमों के नियम 6 को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाना था। संबंधित जिले का.

जारी किए गए विज्ञापन में क्रमांक 12 पर एक शर्त थी कि अभ्यर्थीएक या अधिक स्थानों पर एक से अधिक आवेदन जमा करने पर अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। जहां तक पीटीआई शिक्षकों का सवाल है, तो उनका तर्क होगा कि राज्य ने पूरे राज्य के साथ 622 पदों का विज्ञापन करने में गलती की है। इसी तरह की चुनौती अन्य श्रेणियों के लिए भी रखी गई है। उनके अनुसार, चूंकि विज्ञापन में प्रत्येक जिले में पदों की संख्या दी जानी चाहिए थी, जो नहीं दी गई, इसलिए आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर मौजूद पदों की संख्या को पदों की संख्या के रूप में लिया जाना चाहिए। जिसका चयन किया जाना आवश्यक था।

(3) विज्ञापन में श्रेणी निर्दिष्ट की गई थीसामान्य, एससी, बीसी, ईएसएम और पीएच जैसे विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए विज्ञापन में उल्लिखित पद। हमारे लिए विवरण में जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह केवल इस तथ्य पर विचार करने के लिए है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े उम्मीदवारों के लिए उचित पद आरक्षित किए गए थे। विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से आने वाली सभी आपत्तियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए:-

(i) चूंकि कैडर जिलेवार था, इसलिए चयन हुआजिला स्तर पर भी रही होगी और राज्यवार तैयार की गई चयन सूची त्रुटिपूर्ण थी;

(ii) चयन समिति में 5 सदस्य शामिल थे, अर्थात् जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, व्याख्याताऔर प्रत्येक जिले के लिए विषय विशेषज्ञ। राज्य स्तरीय साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष की परिणाम घोषित होने से पहले ही मौत हो गयी थी. समिति की कोई नई संरचना नहीं थी और इसलिए जारी की गई सूची दूषित हो गई क्योंकि अनुमोदित

सूची को अधिकृत करने के लिए सक्षम व्यक्ति उस तारीख को जीवित नहीं था जब परिणाम घोषित किए गए थे;

(iii) एक ही रोल नंबर वाले 11 व्यक्ति थे, जिन्हें नियुक्त किया गया था;

(iv) अभ्यर्थियों के लिए समय दिया गया थाएक मिनट से भी कम और यह कोई भी अनुमान लगा सकता है कि कोई उद्देश्य कैसा होगा

व्यक्तियों की प्रतिभा का मूल्यांकन किया जा सकता था;

(v) चयन पक्षपात से भी प्रभावित हुआ, क्योंकि हिसार जिले की चयन समिति के अध्यक्ष जिला शिक्षा अधिकारी एसपी चौधरी थे और उनके बेटे पवन कुमार, जिसका रोल नंबर 10977 था, ने बीसी-बी श्रेणी में आवेदन किया था, जबकि उनकी बेटी सुनीता, जिसका रोल नंबर था। सामान्य वर्ग में 11400 ने आवेदन किया था।

(4) प्रतिवादियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री एसपी चौधरी के माध्यम से लिखित बयान दाखिल किया है. उत्तरदाताओं ने बताया कि चयन मानदंड इस प्रकार तैयार किए गए थे कि शैक्षणिक योग्यता पर अधिकतम जोर दिया जाए। शैक्षणिक योग्यता के लिए 70% अंक आवंटित किए गए थे और इससे भी उच्च योग्यता के लिए 5% का वेटेज दिया गया था। अनुभव के लिए 5% वेटेज और इंटरव्यू के लिए केवल 20 अंक रखे गए थे। इसलिए, विवाद यह था कि साक्षात्कार में व्यक्तिपरकता का तत्व न्यूनतम रखा गया था। यह समझाते हुए कि एक जिले में मेधावी उम्मीदवारों के साथ भेदभाव से बचने के लिए राज्य स्तरीय मेरिट सूची सबसे उपयुक्त थी, औचित्य यह था कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार सख्ती से थी। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के विवाद और आरोपों का हवाला देते हुए कि अध्यक्ष के बेटे और बेटी ने विभिन्न श्रेणियों में आवेदन किया था, उत्तरदाताओं ने कहा कि बेटे पवन कुमार ने केवल रोल नंबर 10977 के तहत सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था और बेटी सुनीता ने भी आवेदन किया था। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया। उनका चयन स्वयं 1999 के सीडब्ल्यूपी संख्या 18201 में उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर माना गया था। वह यह

भी दावा करेंगे कि जब उनके बेटे और बेटी उपस्थित हुए थे तो वह चयन/साक्षात्कार की प्रक्रिया में नहीं बैठे थे। अनुपस्थिति में समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री राजिंदर सिंह साक्षात्कार समिति के प्रमुख थे। अभ्यर्थियों को दिए गए रोल नंबरों में गलतियों और कई अभ्यर्थियों को एक ही नंबर दोहराए जाने के मुद्दे को जोड़ते हुए, इसका उत्तर यह है कि गलती को सुधार लिया गया था और बाद में अलग-अलग रोल नंबर दिए गए थे।

(5) बहस के समय याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी उल्लेख किया कि पीटीआई शिक्षकों का पूरा चयन किस बारे में किया गया था

उसी समय जब जेबीटी शिक्षकों के लिए चयन प्रक्रिया बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए सीबीआई को नियुक्त किया था और उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि चयन प्रक्रिया दूषित हो गई थी और पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे को दोषी ठहराने वाले एक आपराधिक अदालत के फैसले ने चयन में राजनीतिक हस्तक्षेप के दावे को सही साबित कर दिया। वर्तमान चयन भी इसी तरह से दूषित था, हालांकि इसी तरह की जांच से इसकी पुष्टि नहीं हुई थी।

(6) ऊपर बताए गए अंतिम बिंदु पर तत्काल विचार करने के लिए, मुझे उसका अवलोकन करना होगासभी रिट याचिकाएँ वर्ष 2000 में चयन की घोषणा के तुरंत बाद दायर की गईं। विशिष्ट आपत्तियों के अलावा, जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है, राजनीतिक हस्तक्षेप और भाई-भतीजावाद के सामान्य तर्कों को रिट याचिकाओं में जगह नहीं मिलती है। यदि इसके बारे में थोड़ा सा भी संकेत था, तो याचिकाकर्ताओं को स्वयं उचित निर्देश के लिए अदालत का रुख करना चाहिए था और चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले किसी भी स्तर के हस्तक्षेप का विवरण सुरक्षित करना चाहिए था। जेबीटी शिक्षकों की सीबीआई जांच से जो नतीजा निकला है, उसे सीधे तौर पर पीटीआई शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के दौर का नहीं माना जा सकता। इसलिए, मैं इस दलील को खारिज कर दूंगा कि पूरी चयन प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण दूषित हुई थी।

(7) कई उम्मीदवारों को एक ही रोल नंबर दिए जाने के कारण रोल नंबरों में विसंगति भी याचिकाकर्ताओं के कहने पर शिकायत का विषय नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ताओं में से कोई भी ऐसा नहीं है जो यह दावा करेगा कि उसे भी चयनित उम्मीदवार के समान रोल नंबर दिया गया था और इसलिए, कुछ भ्रम था। उत्तरदाताओं ने कुछ स्तर पर विसंगति को स्वीकार किया है जब एक ही रोल नंबर एक से अधिक उम्मीदवारों को दिए गए थे, लेकिन उनके द्वारा केवल यह

कहा गया है कि गलती को सुलझा लिया गया था और अंतिम चयन उन विशेष उम्मीदवारों की पहचान करके किया गया था जिन्हें चुना गया था। यदि चयनित उम्मीदवारों में कोई भ्रम नहीं है और याचिकाकर्ता किसी भी चयनित उम्मीदवार के बारे में कोई विशेष विवरण नहीं दे सकते हैं, जो योग्य नहीं था या जिसने चयन के लिए न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त नहीं किया था, तो मैं रोल नंबर में विसंगति को कोई भी बताने के रूप में नहीं ले सकता। याचिकाकर्ताओं द्वारा चयन को चुनौती देने के विशिष्ट कारण। इसलिए, मैं इस तर्क को भी खारिज कर दूंगा। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि साक्षात्कार दिखावा और उससे भी अधिक था

1½ घंटे से भी कम समय में 300 से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया, यह एक तर्क था जिसे रिट याचिकाओं में कोई विशेष विवरण दिए बिना अदालत में रखा गया था। साक्षात्कार में दिए गए अंक केवल 20% तक सीमित कर दिए गए थे और इसलिए, मैं इसे अंतिम परिणाम में कोई बड़ी गड़बड़ी की संभावना के रूप में नहीं देख सकता। उन स्थितियों में जहां अत्यधिक बेरोजगारी की स्थिति मौजूद है और बड़ी संख्या में उम्मीदवार सीमित संख्या में पदों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, यह अपरिहार्य है कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए समय स्लॉट सीमित है। केवल इसी कारण से यह वांछनीय माना जाता है कि साक्षात्कार के लिए आरक्षित अंकों को सीमित करके व्यक्तिपरकता के तत्व को यदि पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाए तो कम किया जाए। वास्तव में साक्षात्कार में किए गए मूल्यांकन के लिए अदालतों द्वारा हस्तक्षेप की सीमा बेहद सीमित है और जब तक साक्षात्कार में कोई बहुत गंभीर बात सामने नहीं आती है, तब तक किसी भी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। चयन समिति के अध्यक्ष के कुछ उम्मीदवारों के पक्ष में पूर्वाग्रह के तत्व को भी इस उत्तर से स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने प्रासंगिक समय पर खुद को अलग कर लिया था। यह गैर-चयनित उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त सांत्वना नहीं लग सकती है, लेकिन चयनित उम्मीदवारों के लाभ के लिए, यह कहा जाना चाहिए कि यह उम्मीदवारों की मूर्खता नहीं है कि उनके अपने माता-पिता चयन समिति के अध्यक्ष थे। ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं और उम्मीदवारों को समय-समय पर कुछ असमान क्षेत्रों का सामना करना पड़ता है।

(8) सदानंद में ***हेलो और अन्य बनाम मोमताज़ अली शेख और अन्य(1)***, सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक नियुक्ति को चुनौती पर विचार कर रहा था जहां हजारों उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में शामिल थे। उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी में हस्तक्षेप करते हुए कि किसी भी एक

दिन में 225 से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बेंचमार्क आम तौर पर तय नहीं किए जा सकते हैं और जहां हजारों उम्मीदवार शामिल हों, वहां तथ्यात्मक पहलुओं पर गहन जांच नहीं की जा सकती है। बनाया। सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाही में चयनित उम्मीदवारों की कुछ अयोग्य भागीदारी पर उच्च न्यायालय द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण में हस्तक्षेप कर रहा था और माना कि सूक्ष्म जांच की अनुमति नहीं थी। अपनी स्वयं की जांच प्रक्रिया पर अदालत की निर्भरता को सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था।

---

(1) (2008) 3 एससीसी 619

यहां तक कि एक दलील ये भी है कि उम्मीदवारों का चयनसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्षता से नहीं किया गया और उनका उचित परीक्षण नहीं किया गया, इसे रिट याचिकाओं के माध्यम से आपत्ति के रूप में नहीं लाया जाएगा।

(9) इस बात पर भी कोई आपत्ति नहीं की गई कि चयन समिति के अध्यक्ष की चयन परिणाम घोषित होने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। मुझे याचिकाओं में उठाया गया कोई विशेष विवाद नहीं मिला, हालांकि इस मुद्दे पर मेरे सामने बहस की गई थी। मेरा मानना है कि यह स्वयं चयन प्रक्रिया को ख़राब नहीं कर सकता है और यदि ऐसा है भी, तो यह केवल कुछ अनियमितता का मुद्दा हो सकता है जो चयन प्रक्रिया की वैधता के मूल में नहीं जाएगा।

(10) हालाँकि, सबसे प्रबल आपत्ति यह होनी चाहिए कि पद जिला कैडर के थे और चयन प्रत्येक जिले के लिए रिक्तियों की संख्या के अनुरूप ही सीमित होना चाहिए। यह मुद्दा कि क्या प्रत्येक जिले के लिए चयन विशेष जिले में निवास को एक प्रासंगिक मानदंड के रूप में किया जा सकता है, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 2006 के पंजाब पंचायती राज प्राथमिक शिक्षक भर्ती शर्तों की सेवा नियमों के संदर्भ में इस पर विचार किया। अभिषेक ऋषि बनाम पंजाब के लेटेट और अन्य (2) में। पूर्ण पीठ इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या नियमों या विज्ञापन में यह शर्त कानूनी और वैध है कि आवेदकों को पंजाब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए और क्या उन उम्मीदवारों के बीच 70% पदों की सीमा तक आरक्षण है। पंजाब से जेबीटी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होना टिकाऊ था। पूर्ण पीठ ने फैसला सुनाया कि अधिवास और निवास के आधार पर पात्रता को सीमित करने वाली अधिसूचनाओं में निर्धारित योग्यता असंवैधानिक थी और अनुच्छेद 16(3) के अनुरूप नहीं थी। खंडपीठ ने

आगाह किया कि यह राज्य है जो शिक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक और वैधानिक रूप से बाध्य है, अनुच्छेद 14 और 16 के संवैधानिक आदेशों से परे सार्वजनिक नियुक्ति नहीं कर सकता है। इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या ईटीटी शिक्षकों के पद पर नियुक्ति जिलेवार भर्ती के माध्यम से की जाएगी। न्यायसंगत था, अदालत ने माना कि जिलेवार भर्ती कानूनी रूप से खराब होगी और इसका समर्थन नहीं किया जाएगा

---

(2) 2013(3) एससीटी 1

नियम। यहां तक कि जिलेवार आवेदन बुलाने वाला विज्ञापन भी संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य था और इसमें अंतर-जिला भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं थी। इस फैसले में ए. पेरियाकरुप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य(3) से शुरू होने वाले सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों पर विचार किया गया है और मैं इस अदालत की जोरदार घोषणा के मद्देनजर उन सभी को दोबारा पेश करने के लिए बाध्य महसूस नहीं करता हूं। जिला कैडर नियुक्ति में चयन जिलेवार योग्यता के आधार पर नहीं हो सकता। जिला-वार चयन समिति का गठन या जिला-वार आवेदन पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन केवल उस विशेष जिले से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आवेदनों पर प्रतिबंध से निवास के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी और अलग-अलग पदों पर असंतुलित चयन की अनुमति मिलेगी। प्रत्येक जिले के लिए योग्यता मानदंड जो मनमाना होगा। मेरिट सूची राज्य स्तर पर होनी चाहिए और जिला कैडर पदों को भरने के लिए विभिन्न जिलों में सीटों का आवंटन किया जाना चाहिए, चयन प्राधिकारी अपनी पोस्टिंग के लिए प्रासंगिक विशेष जिले या आस-पास के स्थानों से संबंधित उम्मीदवारों की प्राथमिकताएं ले सकता है। . इस स्तर से परे, चयन के तरीके में कोई संवैधानिक रूप से स्वीकार्य जिला प्राथमिकता नहीं हो सकती है।

(11) परिस्थितियों में, मैं करूँगारिट याचिकाओं में सुझाए गए किसी भी आधार पर याचिकाकर्ताओं के विवाद को बरकरार रखने का कोई कारण नहीं मिला। इसलिए, सभी रिट याचिकाओं को खारिज करने की आवश्यकता होगी और, तदनुसार, खारिज कर दिया जाएगा।

ए जैन

(3) (1971) 1 एससीसी 38

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा